राजस्थान सरकार

निदेशालय राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ.1 (ए) 102/जि.स्था./पार्ट–14/संस्था/बीमा/2020/ दिनांक: 26-08-2021

आदेश 308

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (अनुभाग–1) से जारी आदेश क्रमांक प.5(1)प्रसु/सम/अनु–1/2018 दिनांक 06.07.2021 की निरन्तरता में राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण में छूट की अवधि को दिनांक 15.09.2021 तक बढाया गया है। इस संदर्भ में मुख्यालय स्तर से विभागीय बेवसाइट के माध्यम से कार्मिकों को पुनः इस आश्य से अवगत करवाया जाता है कि जो कार्मिक अपने वर्तमान पदस्थापन से अन्यत्र स्थानान्तरण के इच्छुक है तो वे अपने स्थानान्तरण के लिए आवेदन ई–राजकाज पोर्टल पर ऑनलाइन ही प्रस्तुत करेंगे। किसी भी कार्मिक के ऑफलाइन प्रस्तुत किये गये आवेदन पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जावेगी।

साथ ही यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि कार्मिक अपने स्थानान्तरण हेतु तीन विकल्पों का चयन करते समय यह ध्यान रखें कि एक ही जिला स्टेशन पर स्थापित पृथक–पृथक कार्यालयों का अंकन नहीं करे अपितु तीन अलग–अलग जिला स्टेशनों का स्पष्ट विकल्प अंकित करें। कार्मिक द्वारा यदि एक ही जिला स्टेशन का विकल्प दिया जाता है तो इस स्थिति में उसके वर्तमान पदस्थापन को दूसरा विकल्प समझा जावेगा। स्थानान्तरण आवेदन हेतु यह लिंक दिनांक 26.08.2021 को प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 07.09.2021 रात्रि 11:59 बजे तक ही उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश क्रमांक 187 दिनांक 13.07.2021 में अंकितानुसार ही रहेगी।

26/08/2021

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन),
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क्रमांक : एफ.1 (ए) 102/जि.स्था./पार्ट–14/संस्था/बीमा/2020/6489-99 दिनांक: 26-08-2021

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, मुख्यालय जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय जयपुर
3. वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता/राज्य बीमा/एनपीएस) मुख्यालय जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त/संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग मुख्यालय/साबीयो ।
5. मुख्यलेखाधिकारी, मुख्यालय जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. निधि विभाग, संभागीय कार्यालय
7. सिस्टम एनालिस्ट/एना. कम प्रोग्रामर/को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करवाने हेतु।
8. सहायक विधि परामर्शी मुख्यालय जयपुर
9. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. निधि विभाग, जिला कार्यालय
10. कैडर स्ट्रेन्थ लिपिक
11. रक्षित पत्रावली

(सौम्या शर्मा)
संयुक्त निदेशक (संस्थापन)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान जयपुर